साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

(कोल इण्डिया लिमिटेड की सहायक कम्पनी)

साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड इस देश की एक वृहद कोयला उत्पादक कम्पनी है। यह कोयला मंत्रालय के अधीन कोल इण्डिया लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) की सहायक कम्पनी है। इस कम्पनी को वर्ष 1997–98 में इस देश का **उत्कृष्ट सार्वजनिक उपक्रम** घोषित किया गया और वर्ष 2003 में प्रदूषण नियंत्रण एवं ऊर्जा संरक्षण हेतु **जवाहर लाल नेहरू मेमोरियल अवार्ड** एवं वर्ष 2004,2004 एवं 2008 में **उत्कृष्ट पुरस्कार** दिया गया है। वर्ष 2004, 2005 एवं 2006 में भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अवार्ड दिया गया । वर्ष 2007 में एसईसीएल को ''मिनी रत्न'' का दर्जा दिया गया । वर्ष 2008–09 में एसईसीएल द्वारा खुली खदान एवं भूमिगत खदान से कुल 101.15 मि.टन कोयला उत्पादन किया गया था, जो पूरे कोल इंडिया लिमिटेड की सभी सहायक कम्पनियों तथा भारत में कोयला उत्पादन करने वाली सभी कम्पनियों में उच्चतम है ।

वर्ष 2008–09 में कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा 403.74 मिलियन टन कोयला उत्पादन किया गया था, जिसमें से एसईसीएल का कुल कोयला उत्पादन 101.15 मि0टन था । एसईसीएल अपनी स्थापना काल से ही लाभ अर्जन कर रही है।

एसईसीएल का कोयला संचय : (एसईसीएल का लोकेशन प्लॉन देखने के लिए यहां क्लिक करें)

एसईसीएल का कोयला संचय, छत्तीसगढ़ में 05 जिले अर्थात् बिलासपुर, कोरबा रायगढ़, सरगुजा एवं कोरिया तथा मध्यप्रदेश के तीन जिलों अनुपपुर, उमरिया, शहडोल में स्थित है। यह सोन तथा महानदी के मुख्य घाटी में स्थित है।

एसईसीएल में कुल 92 कोयला खदानें हैं, जिनमें से कुल भूमिगत खदान 70 तथा खुली खदान 21 है। इसके अलावा एक मिश्रित खदानें भी हैं। छत्तीसगढ़ में 42 भूमिगत खदान, 30–खुली खदान तथा 01–मिश्रित खदान है तथा मध्यय प्रदेश में 28–भूमिगत खदान, 08–खुली खदानें हैं । ये खदानें 13 प्रशासनिक क्षेत्रों में विभाजित हैं :–

01. जोहिला क्षेत्र.
02. सोहागपुर क्षेत्र.
03. जमुना–कोतमा क्षेत्र.
04. हसदेव क्षेत्र.
05. चिरमिरी क्षेत्र.
06. बैकुण्ठपुर क्षेत्र.
07. बिश्रामपुर क्षेत्र.
08. भटगांव क्षेत्र.
09. कोरबा क्षेत्र.
10. गेवरा क्षेत्र.
11. कुसमुण्डा क्षेत्र
12. रायगढ़ क्षेत्र.
13. दीपका क्षेत्र

इसका निगमित कार्यालय (कारपोरेट ऑफिस) बिलासपुर (छ0ग0) में स्थित है।

दिनांक 31.03.2007 तक एसईसीएल में भू–गर्भीय कोयला संचय 44.838 बिलियन टन है।

दिनांक 31.03.2007 तक एसईसीएल के पास 956.41 वर्ग किलोमीटर पर खनन अधिकार (माइनिंग राइट) एवं 259.85 वर्ग किलोमीटर पर आल राइट प्राप्त है।

एसईसीएल के पास निम्न भूगर्भीय संचय के साथ 04 बड़े कोयला क्षेत्र हैं :–

दिनांक 31.03.2007 तक भारत के भू–सर्वेक्षण विभाग (जीएसआई) के अनुसार एसईसीएल की संचय संभावना इस प्रकार है :

बड़े कोयला क्षेत्र	कोयला खनन क्षेत्र (वर्ग किलोमीटर)	भूगर्भीय संचय (मिलियन टन)	गहराई (मीटर)
01. कोरबा	530.0	10115.21	0.600
02. सेन्ट्रल इण्डिया	5345.0	15613.98	0.1200
03. माण्ड–रायगढ़	520.0	19106.04	0.1200
04. रामकोला तातापानी	260.0	1616.79	0.600
एसईसीएल	6655.0	46452.10	0.1200

कोरबा कोयला क्षेत्र :

कोरबा कोयला क्षेत्र (कोलफील्ड्स) छत्तीसगढ़ के कोरबा जिला में स्थित है तथा लगभग 530 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।

भारत के भू–सर्वेक्षण विभाग (जीएसआई) के अनुसार कोरबा कोलफील्ड में 10115.21 मिलियन टन कोयला है।

संचय मुख्य रूप से दो भिन्न/पृथम अंचल/क्षेत्रों में सीमित है :–

01. मोटी परत / खनन योग्य पावर ग्रेड क्षेत्र में ''ई'', ''एफ'' एवं ''जी'' श्रेणी का करीब 9068 मिलियन टन कोयला संचित है

02. पतली परत / भूमिगत उच्च श्रेणी ''बी'' से ''डी'' श्रेणी का कोयला अनुमानतः 1007 मिलियन टन संचित है।

- कोरबा सेन्ट्रल इण्डिया माण्ड–रायगढ़ रामकोला तातापानी

सेन्ट्रल इण्डिया कोलफील्ड्स :

01. यह पूर्व में बिश्रामपुर कोयला क्षेत्र से पश्चिम में उमरिया–कोरार कोयला क्षेत्र तक फैला हुआ है एवं 04 जिलों में अर्थात् छत्तीसगढ़ में सरगुजा एवं कोरिया तथा पूर्वी मध्यप्रदेश में शहडोल तथा उमरिया में स्थित है।

02. इसमें 14 कोयला क्षेत्र शामिल हैं, ये क्रमशः कोड़ार, उमरिया, जोहिला, सोहागपुर, सोनहत, झिलमिली, चिरमिरी, सेन्दूरगढ़, कोरियागढ़, दमहा मुण्डा, पंचबहिनी, हसदेव अरंद, लखनपुर तथा बिश्रामपुर हैं। इनमें से 03 कोयला क्षेत्र क्रमशः कोड़ार, कोरियागढ़ एवं दमहा मुण्डा केवल भौगोलिक महत्व के हैं, यहां कोई कोयला सीम की संभावना नहीं है।

03. 02 कोयला क्षेत्र अर्थात् पंचबहिनी एवं हसदेव अरंद नई हैं। इनकी केप्टिव के रूप में पहचान की गयी है।

04. यह 5345 वर्ग किमी में फैला हुआ है, जहां भूगर्भीय कोयला संचय 15613.98 मिलियन टन के साथ अधिकांशतः ''बी'' एवं ''सी'' श्रेणी का कोयला उपलब्ध है। कोयला संचय करीब 0–1200 मीटर की गहराई में है इसलिए इन कोयला क्षेत्रों में पूर्वी भाग के कुछ ब्लाक में जहां खुली खदान की संभावना है, को छोड़कर भूमिगत खदान के अनुकूल है।

- कोरबा सेन्ट्रल इण्डिया माण्ड–रायगढ़ रामकोला तातापानी

माण्ड–रायगढ़ कोयला क्षेत्र :

01. यह छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ जिला में स्थित है।

02. यह 520 वर्ग किमी में फैला हुआ है।

03. यहां कोयला संचय 19106.04 मिलियन टन है, जहां ''ए'' से ''जी'' श्रेणी का कोयला उपलब्ध है।

04. पावर ग्रेड कोयले की अधिक संभावना तथा इसका खुली खदान–खनन पद्धति द्वारा दोहन किया जा सकता है।

05. अवसंरचना सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही है।

06. प्रायवेट/केप्टिव माइनिंग की संभावना/**गेयर ब्लाक को केप्टिव माइन ब्लाक के रूप में पहचान किया गया है।**

- कोरबा सेन्ट्रल इण्डिया माण्ड–रायगढ़ रामकोला तातापानी

रामकोला तातापानी कोयला क्षेत्र. :

01. यह छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा जिला में स्थित है।

02. यह 260 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ है।

03. दोहन कार्य अभी प्रारम्भ किया जाना है।

04. कोयला संचय 1616.79 मिलियन टन है, जिसमें ''ए'' से ''जी'' श्रेणी का कोयला शामिल है।

05. कोयला निष्काषन के कार्य हेतु अवसंरचना सुविधाएँ अभी भी उपलब्ध कराना शेष है।

- कोरबा सेन्ट्रल इण्डिया माण्ड–रायगढ़ रामकोला तातापानी

एसईसीएल के नियंत्रण क्षेत्र में केप्टिव माइन ब्लाक की स्थिति :

क0	कोयला क्षेत्र	ब्लाक/ उपब्लाक	क्षेत्र वर्ग किमी	भू–गर्भीय संचय (मि0 टन)	अस्थायी (टेन्टेटिव) ग्रेड
01.	हसदेव अरंद	मदनपुर बिसरार (एन)	14	131	बी–एफ
02.	हसदेव अरंद	मदनपुर बिसरार (एस)	20	241	बी–एफ
03.	हसदेव अरंद	पतूरिया	20	265	एफ
04.	हसदेव अरंद	तारा	25	325	डी–जी
05.	हसदेव अरंद	गिधमूरी	14	75	डी–जी
06.	हसदेव अरंद	परसा	12	100	डी–जी
07.	हसदेव अरंद	चोटिया	30	60	सी–डी
08.	हसदेव अरंद	नाकिया	15	500	डी–एफ
09.	हसदेव अरंद	पंचबहिनी	12	11	डब्ल्यूजी–प्ट
10.	कोड़ार	उमरिया पश्चिम	–	लागू नहीं	
11.	माण्ड–रायगढ़	गारे – I	–	850	
12.	माण्ड–रायगढ़	गारे– II	24.95	614.4	सी–जी
13.	माण्ड–रायगढ़	गारे– III	6.32	185	सी–जी
14.	माण्ड–रायगढ़	गारे– IV.1	7.03	99	सी–एफ
15.		गारे– IV.2	4.8	98	बी–एफ
16.		गारे– IV.3	4.7	98	सी–एफ
17.		गारे– IV.4	5.7	100	बी–एफ
18.		गारे– IV-5	5.7	100	बी–एफ
19.		गारे– IV.6	3.6	124	सी–एफ
20.		गारे– IV-7	3.6	124	सी–एफ
21.		गारे– IV.8	4.5	72	बी–एफ

कोयला खनन – हमारा व्यवसाय :

मिनी रत्न कम्पनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने वर्ष 2007–08 में उत्पादन में एक रिकार्ड कायम किया तथा ढुलाई/प्रेषण,उत्पादन,वैगन लदाई, गुणवत्ता में सुधार तथा उनकी कोयला आवश्यकताओं के संबंध में पूर्णतया उपभोक्ता संतुष्टि के अनुरूप कुल कार्य निष्पादन में अब तक का उच्चतम रिकार्ड कायम किया । वर्ष 2007–08 में कुल उत्पादन 93.79 मि.टन था जबकि लक्ष्य 91.5 मि.टन था जोकि वर्ष 2006–07 की तुलना में 5.98 प्रतिशत अधिक था।

एसईसीएल ने वर्ष 2007–08 के दौरान अपने विभिन्न उपभोक्ताओं को 95.00 मिलियन टन कोयला प्रेषित कर प्रेषण के क्षेत्र में अब तक का ऐतिहासिक उच्चतम रिकार्ड स्थापित किया । यह कोल इंडिया लिमिटेड की किसी भी सहायक कम्पनियों द्वारा अब तक का उच्चतम रिकार्ड है ।

उत्पादन एवं उत्पादकता :

वर्ष	उत्पादन (मिलियन टन में)			उत्पादकता (आऊटपुट/मेनशिफ्ट)		
	खुली ख0	भूमिगत	योग	खुली ख0	भूमिगत	योग
98–99	41.56	16.00	57.56	9.24	0.92	2.64
99–00	42.75	16.01	58.70	9.36	0.93	2.70
00–01	44.57	15.76	60.33	9.96	0.93	2.83
01–02	48.21	15.91	64.12	10.03	0.97	3.00
02–03	50.44	16.16	66.60	10.70	1.01	3.21
03–04	54.65	16.36	71.01	11.25	1.05	3.49
04–05	61.97	16.58	78.55	12.27	1.11	3.95
05–06	66.50	16.52	83.02	12.76	1.12	4.17
06–07	72.30	16.20	88.50	13.27	1.14	4.51
07–08	77.05	16.74	93.79	14.30	1.19	4.83
08–09	83.58	17.57	101.15	15.76	1.26	5.26

निष्पादन (वर्ष 2008–09) :

मद		वास्तविक	% वृद्धि
कुल उत्पादन	मि0टन	101.15	105.36
खुली खदान उत्पादन	मि0टन	83.58	105.66
भूमिगत उत्पादन	मि0टन	17.57	103.96
अधिभार निष्काशन	मिलि.घनमीटर	107..01	100.76
कुल ओ0 एम0 एस0	टन	5.26	113.61
खुली खदान ओएमएस	टन	12.27	9.07
भूमिगत ओएमएस	टन	1.26	107.69
कोयला ढुलाई	मि0टन	103.02	107.31
वैगन लदान	चार चक्का वैगन/प्रतिदिन	4709	96.54
इस्पात संयंत्र को आपूर्ति	लाख टन	151.33	89.02

श्रेणीवार उत्पादन (वर्ष 2008–09)

श्रेणी	प्रतिशत
ए	2.58
बी	9.75
सी	9.47
डी	4.39
ई+एफ	73.67
एससी–II	0.14

राज्यवार उत्पादन (मिलियन टन) (08–09)

छत्तीसगढ़	मध्यप्रदेश
88.72 (87.71%)	12.43 (12.29%)

प्रेषण एवं ढुलाई (वर्ष 2008–09) :

01. वर्ष 2008–09 के दौरान उपभोक्ताओं को 102.89 मिलियन टन कोयला प्रेषण किया गया था।

02. वर्ष 2008–09 में ढुलाई 128.85 मिलियन टन हुआ। इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 8.44% वृद्धि हुई है।

सेक्टरवार प्रेषण (मिलियन टन) : (कुल प्रेषण 102.89 मि0 टन) (वर्ष 2008–09):

सीमेन्ट	उर्वरक	विद्युत गृह	इस्पात/स्पंज	अन्य
4.93(4.8:)	0.67(0.6:)	73.23(71.1:)	5.49(5.3:)	18.57(18:)

साधनवार प्रेषण : (मिलियन टन) : (कुल प्रेषण : 102.89 मि0 टन) (वर्ष 2008–09):

रेल	रोड	एमजीआर	बेल्ट	अन्य/स्वयं के वैगन
43.13 (42.:)	39.24(38:)	12.37(12:)	4.87(5:)	3.28(3:)

वित्तीय परिणाम :

रायल्टी तथा कर (करोड़ रू0 में)			
राज्य शासन को रॉयल्टी			
वर्ष	छत्तीसगढ़	मध्यप्रदेश	
2002–03	427.58	133.85	
2003–04	491.32	143.67	
2004–05	533.47	147.12	
2005–06	555.36	149.11	
2006–07	597.91	154.19	
2007–08	765.23	173.15	
2008–09	887.52	212.41	
2009–10			
विक्रय कर			
वर्ष	छत्तीसगढ़	मध्यप्रदेश	पश्चिम बंगाल
2002–03	140.57	50.80	2.01
2003–04	150.14	52.56	2.43
2004–05	188.57	62.71	3.28
2005–06	198.01	64.91	3.30
2006–07	231.91	70.42	3.48
2007–08	211.08	61.75	4.57
2008–09	98.97	28.65	
2009–10			

वैट

वर्ष	छत्तीसगढ़	मध्यप्रदेश
2007—08	93.18	24.99
2008—09	135.02	30.60
2009—10		

प्रवेश कर

वर्ष	छत्तीसगढ़	मध्यप्रदे ा
2008—09	38.55	6.66
2009—10		

कर के पूर्व लाभ

वर्ष	रू0 करोड़ में
2002—03	882.13
2003—04	1314.22
2004—05	1580.93
2005—06	1286.12
2006—07	1777.83
2007—08	2067.37

एसईसीएल अपनी स्थापना काल (1986) से ही लाभ अर्जित कर रही है।

(रू0 करोड़ में)

	2007—08	2006—07	2005—06	2004—05	2003—04	2002—03
ब्याज अवमूल्यन के पूर्व कुल लाभ	2449.94	2024.91	1529.66	182016.63	1560.63	1146.74
घटाएँ — ब्याज	14.56	20.91	15.28	13.78	19.71	36.67
घटाएँ — अवमूल्यन	367.81	226.17	228.26	225.46	226.70	227.94
कर पूर्व लाभ	2067.37	1777.83	1286.12	1580.93	1314.22	882.13
घटाएँ : कराधान हेतु उपबंध	708.23	540.94	334.09	522.86	390.88	324.58
कर पश्चात् लाभ	1359.14	1236.89	952.03	1058.07	923.34	557.55
जोडिए : लाभ—हानि लेखा में शेष	2753.83	2238.48	1839.02	1412.73	1003.77	815.88
निवेश उपयोग संचय	00	00	00	0.00	16.35	31.22

कर हेतु अतिरिक्त उपबंध का समायोजन	0.38	29.86	23.02	– 0.70	2.77	1.36
कर्मचारी लाभ की परि–संपत्ति/ समायोजन की हानि	15.82	––	––	43.30	– –	– –
विनियोग हेतु उपलब्ध सरप्लस	4096.77	3445.51	2768.03	2428.20	1940.69	1406.00
विनियोग						
पूंजी ऋण मुक्ति संचय				– –	– –	75.00
सामान्य संचय	137.10	123.70	95.20	105.85	92.50	56.00
तरजीह अंश पर लाभांश	––	––	––	– –	26.31	30.00
इक्विटी शेयर पर लाभांश	823.71	495.31	380.92	424.45	359.70	210.43
लाभांश कर	139.99	72.67	53.43	58.89	49.45	30.80
शेष आगे लाया गया						
तुलन पत्र	**2995.97**	**2753.83**	**2238.48**	**1839.02**	**1412.73**	**1003.77**

वित्तीय निष्पादन सूची :

क्र0	विवरण	वर्षान्त					
		2007–08	2006–07	2005–06	2004–05	2003–04	2002–03
01.	नियोजित पूंजी (करोड़ रू0 में)	3814.60	3489.76	2780.98	2301.83	1887.66	2939.71
02.	विक्रय (करोड़ रू0 में)	8728.04	7646.26	7127.19	6544.52	5365.66	5062.99
03.	वर्तमान अनुपात	1.29	1.40	1.25	1.20	1.03	1.53
04.	ऋण / इक्विटी अनुपात	0.08	0.09	0.12	0.16	0.21	0.25
05.	कर पूर्व लाभ (प्रतिशत)						
	नियोजित पूंजी	54.20	50.94	46.25	68.68	69.62	30.01

	वास्तविक मूल्य	46.36	43.57	37.37	53.65	54.43	45.72
	विक्रय	23.69	23.25	18.05	24.16	24.49	17.42
06.	कर के बाद लाभ	377.85	343.87	264.67	294.15	256.70	146.66
07.	रू01000 प्रति ोयर पर आय	3778.53	3438.68	2646.74	2941.53	2493.82	1466.62

प्रौद्योगिकी : हमारी आवश्यकता :

एसईसीएल भूमिगत खदानों से अधिक उत्पादन के लिए शुरू से ही प्रयासरत है। यहां केबिल बोल्टिंग के साथ मोटी परत उत्खनन, बलरामपुर तथा राजेन्द्र भूमिगत खदानों में चीन के सहयोग से पावर्ड सपोर्ट लांगवाल प्रौद्योगिकी तथा फ्लोरपिनिंग के साथ समीपस्थ सीम की डिप्लेरिंग, पूर्व में ही सफलतापूर्वक प्रारंभ कर दिए गए हैं। यू0 के0 तथा अन्य विकसित देशों के सहयोग से कन्टीन्यूअस माइनर्स के साथ वृहद उत्पादन प्रौद्योगिकी, हार्ड रूफ प्रबंधन हेतु दो तरह की विधियॉ क्रमशः हाइड्रो फ्रेक्चरिंग तथा लांग होल ब्लास्टिंग पद्धति अपनाई जा रही है। जहां गैसीय खदान हैं वहां विस्फोट से बचने हेतु अपने ही देश में विकसित कटर लोडर का प्रयोग किया जा रहा है।

प्रौद्योगिकी का उन्नयन एक निरंतर प्रकिया है, जो काफी स्पर्धापूर्ण है। खुली खदानों में आधुनिक शॉवेल, जिसकी क्षमता 10 घनमीटर तथा 120 टन डम्पर का उपयोग किया जा रहा है। इस तरह के एच0 ई0 एम0 एम0 के प्रयोग से एसईसीएल को देश में सबसे बड़ी खुली खदान संचालन की उत्कृष्टता प्राप्त है। एसईसीएल द्वारा गेवरा कोयला क्षेत्र में 40 घनमीटर तक का शॉवेल तथा 240 टन क्षमता वाले डम्पर उपयोग में लाये जाने की योजना है।

प्रौद्योगिकीवार भूमिगत कोयला उत्पादन (वर्ष 2004—05) :

नाम	**प्रतिशत (मि0 टन)**
लांगवाल	2.06
एस0 डी0 एल0	63.94
एल0 एच0 डी0	62.26
कन्टीन्यूअस माइनर	1.61
शार्टवाल	1.48
मेनुअल	4.65

सुरक्षा : हमारी प्राथमिकता :

- सुरक्षा एक अत्यन्त महत्व का विषय है।

- विभिन्न स्तर पर सुरक्षा जागरूकता लाने हेतु आंतरिक सुरक्षा संगठन संचालित है।
- जल भराव खदानों में रूफ बोल्ट तथा रेजिंग कैप्सूल सहित टिम्बर सपोर्ट से स्टील सपोर्ट को प्रगामी रूप में बदला गया ।
- कर्मचारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण के अलावा उन्हें समय–समय पर प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से भी आवधिक रूप में प्रशिक्षण दिया जाता है।
- इन हाऊस स्ट्राटा मॉनीटरिंग किया जा रहा है।
- इसके अतिरिक्त गृह प्रयोगशाला में ''रॉक मॉस रेटिंग'' किया जाता है।

सुरक्षा पर कम्पनी का ध्येय :

कम्पनी अपने संचालन कार्यों के सभी पहलुओं पर सम्पूर्ण सुरक्षा के लिए पूर्णरूपेण प्रतिबद्ध है। कम्पनी का उद्देश्य सभी उत्पादन लक्ष्यों पर खानसुरक्षा की भूमिका को सर्वोपरि मानना है । कम्पनी कर्मचारियों की सुरक्षा को प्रथम प्राथमिकता देती है जिस पर अन्य तर्क के साथ समझौता नहीं किया जाएगा।

खानसुरक्षा नीति :

खनन एक जोखिमपूर्ण कार्य है, जहां उसके क्रियाकलाप में प्रकृति के विरूद्ध कार्य करने की बाध्यता होती है किन्तु कार्य के दौरान हमनें अपने व्यवसाय में इस सीमा तक प्रगति करना सीख लिया है कि एसईसीएल ने कोयला खनन के क्षेत्र में बहुआयामी प्रगति की है। एसईसीएल द्वारा इस हेतु सुरक्षा नीति बनाई गई है, जिसमें 27 बिन्दु शामिल हैं। इन बिन्दुओं के निम्न आकर्षण हैं, जो संक्षिप्त में इस प्रकार हैं :

01. सभी संचालन कार्यों की योजना एवं परिकल्पनाएँ इस प्रकार की जाएं कि खनन जोखिम समाप्त हो जाए या व्यावहारिक रूप से कम हो जाए।

02. निदेशक,खानसुरक्षा को सहयोग प्रदान करना एवं खदान उपस्कर निर्माता ऐसे सुरक्षित खनन पद्धति के विकास एवं उपस्करों का निर्माण करें ताकि कार्य करने में अनुकूल वातावरण उपलब्ध हो एवं प्रौद्योगिकी में अपेक्षानुसार परिवर्तन लाया जा सके।

03. असुरक्षित कार्यों के लिए काम चलाऊ प्रबंधन हेतु सुरक्षित कार्यशैली को नियमित अग्रगामिता के रूप में मानना।

04. प्रौद्योगिकी में अपेक्षित परिवर्तन कर कार्यशैली में सुधार लाना ।

05. सुरक्षा मामलों पर संयुक्त सलाह के लिए कर्मचारी प्रतिनिधियों के साथ उनकी प्रेरणा एवं सुरक्षा प्रबंध में अभिमत प्राप्त करने के लिए समुचित फोरम का आयोजन करना।

06. भू–खनन दशाओं के अनुसार विभिन्न संचालनों में उन्नत सुरक्षा व्यवस्था प्रभावशील बनाने के लिये प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष के प्रारंभ में कम्पनी के साथ ही साथ व्यक्तिगत इकाई दोनों के लिए वार्षिक सुरक्षा योजना एवं लम्बी अवधि सुरक्षा योजना तैयार करना ।

07. विचार–विमर्श के माध्यम से सुरक्षा मानकों में सुधार लाना तथा दुर्घटनाग्रसित व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण उपलब्ध कराना।

08. मुख्यालय के साथ–साथ क्षेत्रीय स्तर पर आंतरिक सुरक्षा संगठन के माध्यम से सुरक्षा योजनाओं के क्रियान्वयन के बहुस्तरीय मानिटरिंग की व्यवस्था।

09. यह सुनिश्चित करना कि सभी स्तर के कर्मचारी अपने कार्यों में सुरक्षा चेतना का प्रचार कर रहे हैं साथ ही अपने बीच सुरक्षा उपायों के लिए उत्तरदायित्व भी निभा रहे हैं।

10. सभी कर्मचारियों के लिए निरंतर शिक्षा, प्रशिक्षण एवं पुनःप्रशिक्षण जारी रखना एवं सुरक्षा अनुकूल कुशलता के विकास पर विशेष जोर देना।

11. सभी कर्मचारियों के लिए शारीरिक–मानसिक स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का सतत प्रयास करना।

12. किसी भी दुर्घटना के कारणों की जॉच करना तथा सुरक्षा समिति द्वारा निवारक उपायों की सलाह देना एवं प्रतिकारी उपायों के लिए अनुवर्ती कार्यवाही करना।

13. सभी कार्यस्थलों में स्वच्छता, प्रकाश की व्यवस्था एवं उचित वातायन (वैनटीलेंशन) की व्यवस्था करना ।

आंतरिक सुरक्षा संगठन :

एसईसीएल में आई0 एस0 ओ0, निदेशक तकनीकी (संचालन) के प्रशासनिक नियंत्रण में तीन स्तरों में है, जिसका सम्पूर्ण नियंत्रण अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक द्वारा होता है। निगमित स्तर पर मुख्य महा प्रबंधक (सुरक्षा/बचाव) द्वारा तथा क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय खानसुरक्षा अधिकारी द्वारा इसका नियंत्रण होता है।

इसके कार्य हैं :

01. सुरक्षा नीति का निर्माण एवं संचालन योजना में सक्रिय भागीदारी।

02. खदानों का निरीक्षण एवं सिस्टम में कमियों को दूर करना।

03. खदानों में प्रत्येक दुर्घटनाओं एवं घटनाओं की जॉच तथा विश्लेषण तथा संबंधित क्रियाकलाप और उनकी अनुशंसाओं का प्रचार करना।

04. अच्छी गुणवत्ता वाले सुरक्षा सामानों की आपूर्ति सुनिश्चित करना।

05. सुरक्षा सम्मेलनों, सीआईएल सुरक्षा बोर्ड, सुरक्षा की स्थायी समिति की अनुशंसा का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।

06. मानसून की सम्पूर्ण तैयारियों की समीक्षा।

07. वार्षिक सुरक्षा सप्ताह एवं विशेषज्ञता सुरक्षा प्रशिक्षण का आयोजन।

08. विभिन्न सुरक्षा समिति की बैठकें आयोजित करना।

09. नई खदानों के लिए सुरक्षा अनुमति जारी करना।

10. मासिक आधार पर क्षेत्रीय मुख्य महा प्रबंधक/ महा प्रबंधक के साथ इकाई सुरक्षा अधिकारी की बैठक आयोजित करना।

सुरक्षा मंच :

सुरक्षा में वृद्धि हेतु विभिन्न सुरक्षा मंच जैसे–इकाई स्तर पर कामगार निरीक्षक एवं पिट सेफ्टी कमेटी, क्षेत्रीय स्तर पर सुरक्षा समिति/बोर्ड, क्षेत्र एवं निगमित स्तर पर द्विपक्षीय एवं त्रिपक्षीय सुरक्षा समिति तथा इकाई से निगमित स्तर तक संयुक्त सलाहकार समिति सक्रिय है।

संस्तर नियंत्रण :

इस हेतु गृह संस्तर नियंत्रण पद्धति है। रूफ बोल्टिंग पद्धति सपोर्ट सिस्टम के रूप में प्रारंभ किया गया है। इसके अलावा टिम्बर का प्रयोग कम करने के उद्देश्य से आयताकार (स्क्वायर) तथा त्रिकोणीय (ट्राएंगुलर) चोक्स को उपयोग में लाया जा रहा हे। सपोर्ट सिस्टम, रॉक मॉस रेटिंग पर आधारित है, जो गृह प्रयोगशाला में उपयोग में लाया जा रहा है।

कर्मचारियों का प्रशिक्षण :

खान व्यावसायिक प्रशिक्षण नियम, 1966 के अधीन एसईसीएल के कर्मचारियों को सांविधिक प्रशिक्षण के अलावा भर्ती के समय तथा नियमित अंतराल में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों में आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण भी क्षेत्रीय स्तर पर तथा एसईसीएल मुख्यालय, बिलासपुर के मानव संसाधन विकास विभाग में दिया जाता है। अधिकारियों को भी आईआईसीएम,रांची में विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है ।

सुरक्षा निशपादन :

निम्नलिखित वर्षो के दुर्घटना आंकड़ों के लिए वर्षवार तुलनात्मक सारिणी निम्नानुसार है।

दुर्घटना	2006–07	2005–06	2004–05	2003–04
संघातिक दुर्घटनाएं	6	14	9	9
मृत्यु	6	15	10	9
गंभीर दुर्घटना	69	76	116	87
गंभीर चोट	71	82	118	90
मृत्युदर प्रति एम0टी0 उत्पादन पर	0.068	0.181	0.127	0.127
मृत्युदर प्रति 3–लाख मैनशिफ्ट पर	0.121	0.228	0.148	0.131

टिप्पणीः कैलेण्डर वर्ष 2006–07 का आंकड़ा डीजीएमएस के साथ समाधान की शर्त पर है।

बचाव प्रबंध :

हमारी कम्पनी में, निदेशक तकनीकी (संचालन) के नियंत्रण, मुख्य महा प्रबंधक (सुरक्षा/बचाव) के नेतृत्व एवं महा प्रबंधक (बचाव) की देखरेख एवं मार्गदर्शन में सुगठित बचाव संगठन विद्यमान है। हमारे यहां मनेन्द्रगढ़ में एक रेस्क्यू स्टेशन है। नौरोजाबाद, बुढ़ार, बैकुण्ठपुर, बिश्रामपुर एवं कुसमुण्डा में पुनश्चर्या प्रशिक्षण सुविधा सहित पांच रेस्क्यू

रूम उपलब्ध है तथा गोविंदा (जमुना–कोतमा), हल्दीबाड़ी (चिरमिरी), भटगांव, रजगामार (कोरबा) तथा धरम (रायगढ़) में पांच रेस्क्यू रूम हैं, जो कि प्रत्येक खदान से 35 किमी की दूरी पर स्थित है, जहां बिना किसी विलम्ब के बचाव सहायता उपलब्ध है। रेस्क्यू स्टेशन तथा बचाव कक्ष सभी प्रकार के अपेक्षित साधनों जैसे – रेस्क्यू वैन, फायर टेण्डर, समुचित आधुनिक प्रशिक्षण सुविधायुक्त रेस्क्यू ब्रिगेड सदस्य तथा दूरसंचार पद्धति से सुसज्जित है। एसईसीएल में उपलब्ध 12 रेस्क्यू वैन में से रेस्क्यू स्टेशन में 2 रेस्क्यू वैन उपलब्ध कराया गया है तथा अन्य सभी रेस्क्यू रूम में प्रत्येक के लिए एक रेस्क्यू वैन की व्यवस्था की गयी है। 10–फायर टेण्डर्स संचालन में है,एमआरएस (मनेन्द्रगढ़), आरआरआरटी (जोहिला, बुढ़ार,बैकुंठपुर,बिश्रामपुर और कुसमुंडा) में प्रत्येक में एक, गेवरा खुली खदान परियोजना में 03–नग तथा एसईसीएल मुख्यालय में 01 संचालन में है ।

सभी खदानों में सुपरिभाषित आपात संगठन योजना तथा त्वरित बचाव संचालन हेतु, बचाव योजना जिसे इमरजेन्सी एस्केप रूट से चिन्हित किया गया है, उपलब्ध है। ''माक रिहर्सल'' नियमित अन्तराल में पूर्ण किए जाते हैं।

पर्यावरण एवं समाज : हमारा संबंध :

वर्ष 2008 में सेटेलाईट डाटा पर आधारित एसईसीएल की खुली खदानों की भूमि का जीर्णोद्धार/भूमि–सुधार की मानिटरिंग

एसईसीएल की खनन परियोजनाओं हेतु पर्यावरण नीति :

हम, सभी स्तर पर पर्यावरण विधान के अनुपालन, सभी स्तरों पर प्रदूषण की रोकथाम, सभी इच्छुक पार्टियों की भागीदारी तथा उत्पन्न बेकार भूमि के पुनः प्रयोग पर जोर देते हुए पर्यावरणीय निष्पादन में निरंतर सुधार हेतु प्रतिबद्ध हैं।

पर्यावरण संबंधी व्यवस्था :

खनन परियोजनाओं में पर्यावरणीय प्रबंधन के लिए निम्नलिखित अधिनियम/नियम एवं विनियम को सम्मिलित किया गया है।

01. पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986
02. जल (बचाव एवं प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम 1974
03. वायु (बचाव एवं प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम 1981
04. जल (बचाव एवं प्रदूषण नियंत्रण) उपकर अधिनियम,1976
05. वन संरक्षण अधिनियम 1980
06. जोखिमपूर्ण स्थिति (प्रबंधन एवं व्यवस्था) नियम 1989
07. जैव चिकित्सा नियम
08. बैटरी डिस्पोजल नियम
09. खान एवं खनिज (विनियम एवं विकास) अधिनियम 1957

उक्त विधानों का विवरण पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली की बेवसाइट **http //envfor.nic.in** से डाउनलोड किया जा सकता है।

पारिस्थितिकी अनुकूल खनन :

01. कम्पनी पर्यावरण के बचाव एवं संरक्षण के संबंध में अत्यधिक जागरूक है तथा इस संबंध में कई आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

02. दिनांक 01.04.2009 तक **2–करोड़ (2,47,15,515) से अधिक पौधे** लगाए गए हैं, जिनमें से 90% से अधिक पौधे जीवित हैं।

03. 1562 हेक्टेयर खनित भूमि पूर्व में ही सुधारे जा चुके हैं। खदानों के लिए हवा, पानी एवं ध्वनि प्रदूषण की **नियमित मॉनीटरिंग** की जाती है।

04. कुल 3775.06 हेक्टेयर भूमि की बैक फीलिंग की जा चुकी है। कुल 2825.533 हेक्टर भूमि का बायोलॉजिकल सुधार किया जा चुका है ।

05. अधिभार ढेर तथा अन्य खनित क्षेत्रों पर स्वतः जीवितता पारिस्थितिकी पुनर्स्थापना पद्धति हेतु कम्पनी की पहल पर विभिन्न अनुसंधान सस्थानों द्वारा अनुसंधान अध्ययन प्रारंभ किए गए हैं।

06. एसईसीएल को नई दिल्ली में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा गौरवपूर्ण **''इंदिरा प्रियदर्शिनी वृक्ष मित्र अवार्ड''** दिया गया है तथा प्रदूषण नियंत्रण में उत्कृष्टता हेतु **''जवाहर लाल नेहरू मेमोरियल अवार्ड''** दिया गया है।

07. एसईसीएल को वर्ष 1999–2000 में आंध्र प्रदेश केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम कर्मचारी संघ, हैदराबाद द्वारा प्रदूषण नियंत्रण क्रियान्वयन हेतु **''इंदिरा गांधी मेमोरियल नेशनल अवार्ड''** दिया गया है।

08. एसईसीएल को वर्ष 2004–05 में नई दिल्ली में ग्रीन टेक इनवायरमेंट में एक्सीलेंट सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया था एवं वर्ष 2005 में कुंवर युद्व वीर सिंह वनरोपण अवार्ड रायपुर छ0ग0 में प्रदान किया गया।

विश्वबैंक एवं पर्यावरण विभाग

सामुदायिक कल्याण :

वर्ष 2008–09 में समुदाय के लिए चिकित्सा, शिक्षा, सामुदायिक विकास, नगरीय/शहरीय मरम्मत (जलापूर्ति, रोड, सेतु), खेलकूद एवं पर्यावरण हेतु रू0 211.48 करोड़ की राशि कल्याण व्यय में खर्च की गयी थी ।

कोलफील्ड्स से खेलकूद क्षेत्र तक : सामुदायिक कल्याण में सहायक

चूंकि एसईसीएल दृढतापूर्वक विश्वास करती है कि जहां उसका संचालन– कार्य निष्पादित हो रहा है, वह क्षेत्र के बड़े समुदाय का एक हिस्सा है। हम न केवल उनके आभारी हैं बल्कि यह हमारा कर्तव्य भी है कि हम उनके संचालन योजनाओं में समुदाय के क्षेत्रीय विकास, सामाजिक–आर्थिक परिवेश–वातावरण, सांस्कृतिक लोकाचार पर भी ध्यान दें। इस उद्‌देश्य के लिए कम्पनी ने निम्न क्रियाकलाप साथ–साथ प्रारंभ किए हैं ।

वर्ष 2008–09 में सामुदायिक विकास व्यय रू. 9.38 करोड़ था ।

सड़क व पुल निर्माण के विकास तथा विकास कार्यों के लिए राज्य शासन को सहयोग :

एसईसीएल के स्थापना काल से ही कोयला क्षेत्रों में सड़क एवं संचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।

समुदाय के लिए पेयजल की आपूर्ति :

जल–अभाव वाले चिरमिरी क्षेत्र में विशाल एकीकृत जल आपूर्ति योजना के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में कई हैण्ड पम्प लगाए गए हैं तथा कई मामलों में पाइप लाइनों का भी विस्तार किया गया है।

शिक्षा :

कम्पनी द्वारा कई स्कूलों एवं शैक्षणिक संस्थाओं को अतिरिक्त कक्ष, प्रयोगशाला के लिए निधि स्वीकृत की है। वर्ष 2008–09 में इस शीर्ष में रू. 15–करोड़ व्यय हुआ ।

खेलकूद :

बिलासपुर में भव्य स्टेट आर्ट स्टेडियम निर्माण हेतु प्रस्ताव के अलावा खेलकूद गतिविधियों पर भी कम्पनी काफी सक्रिय योगदान दे रही है परिणामस्वरूप कम्पनी के कर्मचारी इस क्षेत्र में उद्योग स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता प्राप्त किए हैं। वर्ष 2008–09 में इसमें कुल रू.2.50 करोड़ व्यय हुआ था ।

क्षेत्रीय सांस्कृतिक विकास :

कम्पनी हर वर्ष ''छत्तीसगढ़ लोकोत्सव'' का आयोजन करती है, जिसमें छत्तीसगढ़ के 200 से अधिक लोक–कलाकार भाग लेते हैं।

जन स्वास्थ्य एवं सामाजिक सेवाएँ :

कम्पनी द्वारा आंख/कान, परिवार कल्याण/चाइल्ड केयर, कृत्रिम अंग, साक्षरता इत्यादि के लिए अनेक शिविर का आयोजन किया यजाता है इसके साथ ही सामाजिक लोक कल्याण संबंधी अनेक सहायता शिविर इत्यादि के माध्यम से जनसेवा के कार्य किए जाते हैं। वर्तमान में चिकित्सा पर प्रति व्यक्ति व्यय रू. 5057.05 है । वर्ष 2008–09 में चिकित्सा में रू. 62.84 करोड़ व्यय हुआ था ।

परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के लिए एकीकृत पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना :

विस्तृत सामुदायिक विकास कार्य प्रारंभ करने के अतिरिक्त एसईसीएल ने सभी परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के लिए व्यापक सामाजिक–आर्थिक पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना भी सुनिश्चित किया है। इसमें आर्थिक सुधार के अलावा गृह निर्माण, जलापूर्ति, रोड, स्ट्रीट लाइटिंग, स्कूल, मनोरंजन केन्द्र, खेल मैदान सहित पुनर्वास ग्राम का निर्माण शामिल है।

वर्श 2006–07 में 169 भू–विस्थापितों को नौकरी प्रदान की गई थी।

इस प्रकार कम्पनी अपने वाणिज्यिक उद्दे यों को प्राप्त करने के साथ–साथ सामुदायिक विकास की ओर भी ध्यान देती है ताकि उद्योग एवं सामुदायिक विकास साथ–साथ चलें।

श्रमशक्ति : हमारी शक्ति

- दिनांक 01.04.2009 को कुल श्रमशक्ति : 81,434
- दिनांक 01.04.2009 को श्रमशक्ति :

अधिकारी	मासिक वेतनभोगी	दैनिक वेतनभोगी	पीस रेटेड	कंपनी ट्रेनी	कुल
2735	14752	60734	2770	443	81434

- दिनांक 01.04.2009 को :

अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अन्य
16761(20.58:)	18406(22.60:)	14962(18.38:)	31305 (37.55:)

दानकुनी कोल कॉम्पलेक्स :

पता : दानकुनी कोल कॉम्पलेक्स, दुर्गापुर एक्सप्रेस–वे, डी0 सी0 सी0, हुगली (पश्चिम बंगाल) पिन 712310.

कोलकाता कार्यालय : 13, आर0 एन0 मुखर्जी रोड, कोल हाऊस, प्रथम तल, कोलकाता – 700071.

सम्पर्क फैक्स नं0
033 – 2659–1721
033 – 2210–9250 (टेली / फैक्स)

सम्पर्क दूरभाष
033 – 2659–4202 / 3352,
033 – 2248–7401

सम्पर्क ई–मेल secldcc@onlysmart.com

सम्पर्क व्यक्ति
महा प्रबंधक (डी0 सी0 सी0),
विक्रय प्रबंधक (डी0 सी0 सी0)

....

उत्पाद की उपलब्धता एवं मूल्य विवरण समय–समय पर इंटरनेट पर ई–ऑक्सन बुलेटिन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

कोक : इसे कम राख, कम फास्फोरस, कम सल्फर कोयला श्रोत से बनाया जाता है।

यह (+) 35 (–) 70 एम0 एम0, (+) 6 (–) 35 एम0 एम0 तथा 0–6 एम0 एम0 आकार में उपलब्ध होता है।

निश्चित कार्बन मात्रा : 62–67% , व्ही0 एम0 3–5%] फास्फोरस 0.03–0.04%

उष्मीय मान 5000–5500 के0 कैलोरी / के0जी0

प्रयोग (+) 6 एम0 एम0 कोक का प्रयोग थोक में फोरम एलाय के निर्माण में औद्योगिक कमी, धुंआ रहित घरेलू ईंधन के रूप में होता है तथा (–) 6 एम0 एम0 कोक का प्रयोग ब्रिकेट्स सीमेंट के लिए होता है।

प्लांट स्मेल्टिंग / रोस्टिंग :

कोयला चूरा (कोल फाइन्स)	0.25 एम0 एम0 आकार, राख 18.22% उष्मीय मान – 5400 से 5800 किलो कैलोरी / के0जी0
प्रयोग	(1) विद्युत संयंत्र में पी0 एल0 एफ0 को बेहतर करने के लिये रोचक बनाना ।
	(2) बेहर गुणवत्ता उत्पाद के लिए सीमेंट संयंत्र में प्रयोग.
	(3) लम्बी लौ गुण होने के कारण बॉयलर तथा भट्ठी, ईंट तथा चूना भट्ठी के लिए उपयुक्त.
कोलतार	उच्च व्ही0 एम0 कोयला के विनाशक आसवन से कोलतार का निर्माण होता है।
विशिष्ट गुरूत्व	1.02–1.05, आद्रता – 1.2% जी0 सी0 व्ही0 10,000 के ऊपर के0 कैलोरी प्रति किलोग्राम., शुद्ध चिपचिपाहट–184
प्रयोग	फरनेस आईल का प्रभावी विकल्प है बोट पेन्ट,टारफेल्ट इत्यादि बनाने के लिये उसे अवसान करने से निम्नलिखित वर्णक्रम मात्रा में मिश्रित केमिकल्स प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे–फिनाइल, आर्थो–क्रेसॉल, मेटापैराक्रेसॉल, ज़ाइलेनॉल, एच0बी0टी0ए0.

भारत सरकार के ईंधन नीति समिति ने सन् 1974 में अपने प्रतिवेदन में सन् 1970 के मध्य पेट्रोलियम के मूल्य में अचानक वृद्धि को देखते हुए ईंधन तेल आधारित पेट्रोलियम के विकल्प हेतु भारत में अनेक निम्न तापक्रम कार्बनीकरण संयंत्र (लो टेम्प्रेचर कार्बनाइजेशन प्लान्ट) स्थापित करने की अनुशंसा की। इस निर्णय के अनुसरण में भारत सरकार ने निर्णय लिया कि ऐसे संयंत्र कोल इण्डिया लि0 द्वारा संचालित किए जाएं तदनुसार दानकुनी में कार्बनीकरण संयंत्र स्थापित किया गया।

इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित उत्पादन करना है :

- सीआईएल कोक के ब्राण्ड के रूप में प्रतिदिन लगभग 800 टन ठोस धुंआ रहित इंधन (सॉलिड स्मोकलेस फ्यूल) ।
- कोलकाता व हावड़ा तथा उसके आसपास की आपूर्ति के लिये प्रतिदिन लगभग 18 मिलियन घनफूट कोयला गैस ।
- प्रतिदिन लगभग 70 से 75 टन टार केमिकल ।
- ठोस एवं गैसीय इंधन दोनों ही, जो प्रकृति में बहुत साफ है, कोलकाता एवं हावड़ा के प्रदूषण स्तर को घटाने में सहयोगी होंगे।

कोल इण्डिया लि0 द्वारा एसईसीएल को दानकुनी कोल कॉम्पलेक्स को पट्टे पर दिया गया है।

<u>दानकुनी कोल कॉम्पलेक्स, दानकुनी (पश्चिम बंगाल) के उत्पाद :–</u>

- सीआईएल कोक
- कोक फाइन्स
- कोल गैस
- लाइट ऑयल
- नेचुरल ऑयल
- हैवी ऑयल
- सॉफ्ट पिच
- फिनॉइल
- आथ्रो क्रेसॉल एण्ड मेटापैरा–क्रेसॉल
- ज़ाइलेनॉल
- हाई बॉयलिंग टार एसिड,
- अमोनियम सल्फेट
- सल्फर
- केल्सियम कार्बोनेट
- डिहाइड्रेटेड टार

एसईसीएल की अनुषंगियॉ (एन्सीलियरीज़ आफ एसईसीएल) :

एसईसीएल के निर्माण के बाद वर्ष 1987–88 से अनुषंगीकरण प्रारम्भ हुआ तथा आज दिनांक तक वर्तमान में 65–इकाइयॉ कार्यरत हैं एवं एसईसीएल को हर वर्ष 33 प्रकार की मदों की आपूर्ति कर रही हैं। ये सभी इकाइयॉ एसईसीएल के कोयला खदानों के नियंत्रण क्षेत्रों अर्थात बिलासपुर, सरगुजा, शहडोल, कोरबा एवं रायगढ़ में स्थित हैं।

अनुषंगी इकाइयों से ढुलाई कार्य बढ़ाने हेतु कुछ और मदों की अनुषंगीकरण हेतु पहचान की गई हैं। इसे प्रकाशन हेतु राज्य प्राधिकारियों को भेजा गया है।

एसईसीएल द्वारा घोषित अनुषंगी इकाइयों को निम्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है।

(क) निःशुल्क निविदा कागजात जारी करना तथा प्रतिभूति/बयाना राशि (सिक्योरिटी/अर्नेस्ट मनी) भुगतान से छूट.

(ख) यदि वे तकनीकी रूप से योग्य हैं तो निम्नानुसार क्रय तरजीह (परचेज प्रिफरेन्स) ।

01. यदि अनुषंगी इकाई का दर न्यूनतम होना पाया जाता है तो 100–प्रतिशत की सीमा तक आदेश या उनकी क्षमता तक सीमित ।

02. यदि अनुषंगी इकाई एल–1 मूल्य की पुष्टि करती है तो निविदा मात्रा का 50–प्रतिशत की सीमा तक आदेश.

(ग) एसईसीएल मुख्यालय या क्षेत्र द्वारा निरपेक्ष रूप से दिए गए आदेश के तीस दिनों के भीतर मुख्यालय से केन्द्रीयकृत भुगतान।

(घ) गुणवत्ता पैरामीटरों में, जहां अपेक्षित है, सुधार लाने के उद्देश्य से समय–समय पर एसईसीएल के तकनीकी अनुभवी व्यक्तियों द्वारा तकनीकी सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है।

एसईसीएल – उपभोक्ता संतुष्टि :

उपभोक्तावार प्रेषण एवं उपभोक्ता संतुष्टि हेतु उपाय :

01. प्रेषण किए जा रहे कोयले का सही मापतौल सुनिश्चित करने हेतु सभी 23 रेलवे सायडिंग/केप्टिव साइडिंग में इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट आउट सुविधाओं के साथ 36 वे–ब्रिज की व्यवस्था की गयी है।

02. 90 रोड वे–ब्रिज भी संचालन में है।

03. विद्युत गृह को कोयला आपूर्ति हेतु 100ः कोयले का आकार सुनिश्चित करने के लिए फीडर ब्रेकर तथा क्रशर स्थापित किए गए हैं।

वर्ष 2008–09 तक सेक्टरवार प्रेषण (मिलियन टन) :

सेक्टर	2007–07	2008–09
विद्युत गृह	66.71	73.24
सी0 पी0 पी0 यूनिट	8.77	8.80
इस्पात (ब्लेण्डेबल)	0.15	0.15
इस्पात (नान–कोकिंग)	0.54	0.61
इस्पात – कुल	0.69	0.76
स्पंज	5.09	4.44
सीमेन्ट	5.05	4.76
उर्वरक	0.67	0.64
अन्य	8.00	10.35
योग	**94.98**	**102.99**

क्षेत्रवार वैगन लदान स्थिति (2008–09) :

क्षेत्र	लदान (चार चक्का वैगन – आंकड़े)	
	2008–09	2008–09
01. कोरिया–रींवा	2297	2220
02. कोरबा	2408	2478
योग :	**4705**	**4698**

प्रेषित कोयले की माप एवं आकार (2008–09) :

वर्ष	तौल प्रतिशत	आकार प्रतिशत (सीएचपी/सीआर/एफबी/यूजी शेयर)
2007–08	99.83	94.89
2008–09	99.86	96.26′
2009–10	99.90	98.14

डोजर एवं श्रमिक साधनों को छोड़कर.

विद्युतगृह को कोयला प्रेषण : (2008–09) : 73.24 मिलियन टन

क्र0	विद्युत गृह	मिलियन टन
01.	एमएसईबी	**5.56**
02	बी0 एस0 ई0 एस0 धानु	2.57
03	जी0 ई0 बी0	16.69
04.	साबरमती	1.32
05	एम0पी0एस0ई0बी0	7.24
06.	सी0एस0ई0बी0	10.28
07	एनटीपीसी	12.10
08	एनटीपीसी सीपत	2.81
09.	पी0 एस0 ई0 बी0	1.48
10	आरवीयूएनएल	12.14
11	लेंको	0.29
12	आरडीएम	0.39
13	पानीपत	**0.37**
	योग	**73.24**

एसईसीएल द्वारा शिकायतें दूर करने के लिए की गयी कार्यवाही :

01. एसईसीएल एवं उपभोक्ता दोनों ने फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट के तहत दिनांक 01.04.09 से लदान बिन्दुओं पर संयुक्त सेम्पलिंग के लिए सहमति व्यक्त की है।

मात्रा के संबंध में –

01. सभी साइडिंग में इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट आउट सुविधाओं के साथ वे–ब्रिज.

02. एस0 ई0 बी0 एस0 के प्रतिनिधियों तथा अन्य उपभोक्ताओं को तौल, देखरेख हेतु प्रोत्साहन.

03. कोयला बिल के साथ ऐसे सभी तौल के प्रिंट आउट जमा किए जाते हैं.

04. एस0 ई0 बी0 एस0 तथा अन्य उपभोक्ताओं के प्रतिनिधियों को सभी साइडिंग में रखे गये संयुक्त निरीक्षण पंजी में अपनी टिप्पणी लिखने हेतु प्रोत्साहित किया जाता हैं।

निगमित प्रबंधन टीम (कारपोरेट मैनेजमेंट टीम) :

- निगमित स्तर पर (एट कारपोरेट लेवल) :

श्री एम0 पी0 दीक्षित	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक	(07752–243301 / 246302) फैक्स : 07752–246451 ई–मेल cmd@seclhq.com
श्री राधेश्याम सिंह	निदेशक (कार्मिक)	(07752–246305 / 246306) फैक्स : 07752–246455 ई–मेल dp@seclhq.com
श्री पी0के0 रायचौधरी	निदेशक तकनीकी (संचालन)	(07752–246303 / 246304) फैक्स : 07752–246353 ई–मेल dto@seclhq.com
श्री गोपाल सिंह	निदेशक तकनीकी	(07752–246309 / 246310)

	(योजना /परियोजना)	फैक्स : 07752–246459 ई–मेल dtpp@seclhq.com
श्री ए0आर0 कोमावार	निदेशक (वित्त)	(07752–246307/246308) फैक्स : 07752–246457 ई–मेल df@seclhq.com

- **अंशकालीन कार्यालयीन निदेशक :**

01. श्री के0एस0 क्रोफा, संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कोयला मंत्रालय,नई दिल्ली

- **अंशकालीन गैर–कार्यालयीन निदेशकगण :**

01. श्री अरूण कुमार
02. प्रो. बी0बी0 भट्टाचार्या
03. सुश्री उषा सहजपाल

एसईसीएल – विविध :

आई0 एस0 ओ0 प्रमाणीकरण/मान्यीकरण :

केन्द्रीय कर्मशाला, एसईसीएल, कोरबा को पुरानी मशीनों की मरम्मत एवं पुर्जों के निर्माण के क्षेत्र में गुणवत्ता पद्धति प्रमाणीकरण से आई0 एस0 ओ0 9002: 1994 लाइसेंस प्रदान की गयी है। यह लाइसेंस 21 दिसम्बर, 2000 से प्रभावी है। यह एसईसीएल की प्रथम इकाई एवं कोयला उद्योग में दूसरी इकाई है, जिसने यह उत्कृष्टता प्राप्त की है। केन्द्रीय कर्मशाला, कोरबा के लिए आईएसओ–9002 : 1994 को आईएसओ–9001 : 2000 में परिवर्तित करने हेतु प्रक्रिया जारी है। आगे सेन्ट्रल कर्मशाला–गेवरा क्षेत्र, क्षेत्रीय कर्मशाला–बिजुरी (हसदेव क्षेत्र) तथा क्षेत्रीय कर्मशाला–कोरिया (चिरमिरी क्षेत्र) को आईएसओ–9001 : 2000 प्रमाणीकरण की मान्यता देने हेतु प्रक्रिया जारी है।

एसईसीएल के तीन खुली खदान परियोजनाओं क्रमशः गेवरा, दीपिका एवं कुसमुण्डा को ई0 एम0 एस0 (एन्वायरमेन्टल मैनेजमेन्ट सिस्टम) 14001 प्रमाणीकरण दिए जाने की प्रक्रिया जारी है।

जी0 आई0 एस0 (भौगोलिक सूचना पद्धति) :

एसईसीएल ने अपने मुख्यालय बिलासपुर में एसईसीएल के पर्यावरण एवं सामाजिक प्रबंधन क्षमता के सांस्थानिक मजबूती के रूप में जी0 आई0 एस0 केन्द्र स्थापित किया है।

प्रतिपुष्टि (फीड बैक) :

आप हमारे वेबसाइट, उत्पादन, संस्था या अन्य किसी भी चीज के बारे में क्या सोचते हैं, कृपया बताएं। आपकी टिप्पणी एवं सुझावों का स्वागत है।

कृपया नीचे दिए गए स्थान पर अपनी टिप्पणी लिखें :

कृपया हमें अपना सम्पर्क पता दें।

नाम ....

ई–मेल ....

दूरभाष ....

फैक्स ....

एसईसीएल समाचार

वर्ष 2009–10 के दौरान एसईसीएल की उपलब्धि/अवार्ड की सूची

01. 1711.2008 को एसईसीएल को ''उत्कृष्टता पुरस्कार'' एवं श्री एम.पी. दीक्षित, अध्यक्ष–सह–प्रबंध–निदेशक, एसईसीएल को इंस्टीट्यूट आफ इकोनामिक स्टडीज (आईईएस) नई दिल्ली द्वारा ''उद्योग रत्न'' अवार्ड ।

02. दिनांक 02.02.2009 को एसईसीएल को फोरम आफ वूमेन इन पब्लिक सेक्टर (डब्लूआईपीएस) द्वारा ''बेस्ट इंटरप्राईजेज अवार्ड'' का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ।

03. दिनांक 04.05.2009 को एसईसीएल को ग्रीनटेक फाउंडेशन, नई दिल्ली द्वारा ''गोवा ग्रीनटेक सेफ्टी सिल्वर अवार्ड'' ।

04. दिनांक 08.06.2009 को इंस्टीट्यूट आफ इकॉनामित स्टडीज, नई दिल्ली द्वारा एसईसीएल को ''प्राईड आफ इंडिया अवार्ड'' तथा अध्यक्ष–सह–प्रबंध–निदेशक, एसईसीएल को ''गोल्ड मेडल'' ।

05. दिनांक 26.07.2009 को इकॉनामिक ग्रोथ सोसायटी आफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा श्री एम.पी. दीक्षित, अध्यक्ष–प्रबंध–निदेशक, एसईसीएल को ''राष्ट्रीय विकास रत्न अवार्ड'' ।

06. दिनांक 02.08.2009 को इॅकोनामिक ग्रोथ सोसायटी आफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा श्री एम.पी. दीक्षित, अध्यक्ष–सह–प्रबंध–निदेशक एसईसीएल को ''इंटरनेशनल स्टेटस अवार्ड।

07. दिनांक 12.10.2009 को ''ग्रीनटेक फाउंडेशन,नई दिल्ली द्वारा एसईसीएल को ''ग्रीनटेक इनवायरमेंट एक्सीलेंस अवार्ड'' ।

08. दिनांक 09.10.2009 को भारतीय राजभाषा विकास संस्थान, देहरादूर द्वारा श्री एम. पी. दीक्षित, अध्यक्ष–प्रबंध–निदेशक एसईसीएल को ''राजभाषा श्री सम्मान'' ।

09. दिनांक 18.03.2009 को इंटीट्यूट आफ इकोनामिक स्टडीज, नई दिल्ली द्वारा श्री एम.पी. दीक्षित, अध्यक्ष–सह–प्रबंध–निदेशक को ''बिजनेस लीडरशिप अवार्ड''।

10. दिनांक 20.08.2009 को राजीव गांधी फोरम, उड़ीसा द्वारा श्री आर.एस.सिंह, निदेशक (कार्मिक) को ''राजीव गांधी सद्भावना'' अवार्ड ।

11. दिनांक 30.03.2010 को एसईसीएल की 09–खदानों को ''आईएसओ–14001'' इंटरिम आईएसओ सर्टिफिकेट ।

12. दिनांक 02.04.2010 को श्री एम.पी. दीक्षित,अध्यक्ष–सह–प्रबंध–निदेशक एसईसीएल को शिवपुर (पश्चिम बंगाल) में इंजीनियरिंग में पीएचडी–डाक्टोरेट डिग्री ।